दिनाँक 07.12.2022

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के निर्देशों के क्रम में दिनाँक 07.12.2022 को प्रातः 9.00 बजे ग्राम-ककराला ख्बासपुर में खसरा सं0-734 व अन्य में अवैध रूप से लगभग 7000 वर्ग मीटर भूमि पर किये गये अनधिकृत व्यवसायिक (10 दुकानों) व अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही भूलेख विभाग, वर्क सर्किल की संयुक्त टीम एवं पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। अवैध निर्माण डूब-क्षेत्र में था। भूमि की कीमत लगभग 10 करोड़ हैं।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा ने जनसामान्य को आगाह किया है कि वे नदियों के डूब क्षेत्र (River Bed) एवं नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में काटी जा रही अनधिकृत/अवैध कॉलोनियों एवं फार्म हाऊसों के कारोबार में संलिप्त भूमाफियाओं के चंगुल में न फंसे। यह भी उल्लेखनीय है कि नौएडा के डूब क्षेत्र में कोई भी निर्माण पूर्णतः वर्जित है। ऐसी स्थिति में किसी अवैध फार्म हाउस के क्रय-विक्रय के कार्यो में सम्मिलित न हो। साथ ही उन्होंने ऐसे अनधिकृत एवं अवैध प्लाटिंग, कॉलनाईजेशन में संलिप्त भू-माफियाओं एवं अपराधिक तत्वों को एतद् द्वारा सचेत किया है कि भविष्य में भी डूब क्षेत्र (River Bed) एवं नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में ऐसे अनधिकृत निर्माणों को न केवल पुलिस बलपूर्वक ध्वस्त कराया जायेगा वरन् अनधिकृत निर्माण में संलिप्त पाये गये लोगों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के लिए नौएडा कटिबद्ध है।